स्मृति-पत्र

1. संस्था का नाम :- **दयाल एजूकेशनल वेलफेयर सोसाइटी,**
2. संस्था का पता :- मोहन मार्केट छिबरामऊ जनपद-कन्नौज (उ0 प्र0) पिन-209721
3. संस्था का कार्यक्षेत्र :- समस्त उत्तर प्रदेश होगा।
4- संस्था के उद्देश्य :-

1- संस्था का मुख्य उद्देश्य जनता का सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, बौद्धिक, रचनात्मक, कलात्मक, ग्रामोद्योगी उन्नति का एवं तकनीकी उन्नति का समुचित प्रयास करना।

2- संस्था के कार्यक्षेत्र में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना तथा शिक्षा के उत्तरोत्तर विकास हेतु नर्सरी, माण्टेसरी तथा शिशु स्तर से लेकर प्राइमरी, जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल, इण्टर मीडिएट आवश्यकता होने पर स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षा तक के विविध नामों से स्कूल/कालेज बालक एवं बालिकाओं के खोलना एवं उनका संचालन करना तथा आवासीय विद्यालयों एवं पब्लिक स्कूलो आई0सी0एस0सी0, सी0बी0एस0ई0 पैटर्न पर हिन्दी, अंग्रेजी एवं उर्दू माध्यमों से खोलना एव उनका संचालन करना।

3- सरकार एवं शासन की नीतियों के अनुसार कन्या विद्यालयों, कन्या महाविद्यालयों की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना।

4- संस्था के कार्यक्षेत्र में पुस्तकालय, वाचनालय, छात्रावास, क्रीड़ा केन्द्रों की स्थापना एवं उनका संचालन करना।

5- संस्था के कार्यक्षेत्र में विभिन्न प्रकार के खेलो के शिक्षण, प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना, खेलकूद, निबन्ध, कला प्रतियोगितायें आयोजित कराना। मेधावी एवं प्रतिभावान बच्चों/खिलाड़ियों को पुरस्कृत करना।

6- छात्र/छात्राओं को बेरोजगारों को स्वावलम्बी बनाने हेतु तकनीकी एवं रोजगारपरक शिक्षा प्रदान करना तथा उन्हें सिलाई, कढ़ाई, कताई, बुनाई, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों, नारी निकेतनों, शिल्प कला केन्द्रों, आंगनवाड़ी, बालवाड़ी केन्द्रों, अगरबत्ती, मोमबत्ती बनाना, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों, औपचारिक शिक्षा केन्द्रों, कालीन बुनाई, पेण्टिंग, टाइपिंग, शार्ट हैन्ड समस्त प्रकार के कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों (कम्प्यूटर हार्डवियर/कम्प्यूटर साफ्टवेयर) कम्प्यूटर
इण्टरनेट, मेंहदी, कुर्सी बुनाई, सोफा कवर बनाना, रेडियो, घड़ी, टी0वी0 ट्रेनिंग सेन्टरो मोटर वाइन्डिंग, ब्यूटीशियन/ब्यूटी पार्लर बुकबाइन्डिंग, फोटोग्राफी, अन्य इलेक्ट्रानिकक्स उपकरणों के प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना।

7- संस्था के कार्यक्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास पुष्टाहार विभाग, महिला कल्याण निगम, महिला स्वयं सिद्धा योजना, महिला समृद्धि योजना, महिला आयोग द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन करना, महिला प्रशिक्षण केन्द्रों की व्यवस्था करना महिला छात्रावास, अनाथ आश्रमों, परित्यक्ता आश्रमों, विधवा पुर्नवास केन्द्रों, बढ़ी हुई वैश्यावृत्ति को रोकने एवं महिला जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन करना।

8- संस्था के कार्यक्षेत्र में महिलाओं को साक्षर बनाना एवं राष्ट्रीय साक्षरता निगम के कार्यक्रमों व संचालन करना तथा बालिकाओं को विभिन्न प्रकार के खेलो के प्रशिक्षण देना तथा उन्हें
जिला, प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर खेलने हेतु जानकारी देना प्रशिक्षण देना।

9- पर्यावरण सुधार हेतु कार्यक्रमों का आयोजन करना प्रचार प्रसार करना वृक्षारोपण कराना, जागरूकता रैली का आयोजन करना एवं मानव एवं जीव जन्तुओं पर पर्यावरण से होने वाली लाभ हानियों के सम्बन्ध में अवगत कराना व पर्यावरण को शुद्ध बनाये रखने हेतु कार्य करना।

10-प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में कार्य करना तथा जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, प्लास्टिक उद्योग से होने वाले प्रदूषण मेडिकल/हास्पिटल के कूड़े, कचड़े से होने वाले प्रदूषण को रोकने का प्रयास करना । जन जागरूकता पैदा करना तथा इस हेतु शीघ्र संस्थाओं की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना।

11-कार्य क्षेत्र में गरीब जनता के लाभार्थ टीकाकरण, पल्स पोलियो कार्यक्रमों, जनसंख्या नियंत्रण प्रचार प्रसार कार्यक्रमों, परिवार नियोजन कार्यक्रमों, मातृत्व शिशु कल्याण केन्द्रों, एड्स नियंत्रण एवं जागरूकता कार्यक्रमों, नशा मुक्ति कार्यक्रमों (मद्यपान निषेध कार्यक्रम) कुष्टरोगी सेवा केन्द्रों, कैंसर रोगी, अन्धता निवारण कार्यक्रमों, नेत्र शिविरों, स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रमों, धमार्थ एवं निःशुल्क चल चिकित्सालयों, अचल चिकित्सालयों तथा स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा संचालित गरीब जनता के स्वास्थ्य लाभ हेतु चलाई जा रही योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन करना। हैपेटाइटिस बी टीकाकरण, कुष्ठ रोगी, सेवा केन्द्रों आदि की व्यवस्था करना।

12- ग्रामीण क्षेत्रो में सरकार एवं शासन के लक्ष्य अधिकारियों की अनुमति से मेडिकल कालेज, फार्मेसी कालेज, नर्सिंग कालेज खोलना एवं उनका संचालन करना तथा इन्जीनियरिंग शिक्षा हेतु संस्थायें खोलना एवं उनका संचालन करना, सरकार की नीतियों एवं योजनाओं के अनुसार नियमानुसार कार्य करना।

सत्य-प्रतिलिपि

पेज 2 पर -

13- वृद्ध आवास गृहो उनके मनोरंजनहेतु टी0वी0, पत्र पत्रिकाओं, भोजन, वस्त्र, दवायें आदि निःशुल्क दिलाने का प्रयास करना तथा वृद्धावस्था पेन्शन दिलाने हेतु निःशुल्क मार्गदर्शन एवं सहायता करना।

14- समाज के गरीब लड़के, लड़कियों की शादी विवाहों मे सहयोग करना तथा उपयोग होने वाले सामान को निःशुल्क उपलब्ध कराने का प्रयास करना।

15- विकलांगो को विविध प्रकार के प्रशिक्षण देना, कृत्रिम अंग उपकरणों को दिलाना, मूक बधिर अन्य विद्यालयों की स्थापना करना, उन्हें संगीत, गायन, वादन, खेल अन्य तकनीकी शिक्षा प्रदान कर विकलांगो को आत्म निर्भरता की ओर अग्रसर करना।

16- संस्था के कार्यक्षेत्र मे खाद्य प्रसंस्करण बोर्ड/एफ0सी0आर0ए0 के कार्यक्रमों का संचालन करना तथा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एवं फल संरक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना, मत्स्य पालन, मुर्गीपालन, मधुमक्खी पालन, सुअर पालन, एग प्रोसेसिंग फूड प्रोसेसिंग, सेरियल आयल प्रोसेसिंग आदि कार्यक्रमों का संचालन करना, रेशम कीट पालन , सामाजिक वानिकी कार्यक्रम चलाना।

17- ग्रामीण क्षेत्रो मे विकास तथा गरीबो के उत्थान हेतु भेड़, बकरी पालन, डेयरी विकास कार्यक्रमों, गौशाला की स्थापना करना, गौ संरक्षण, गौ सम्वर्धन उनके इलाज, पानी चारे नस्ल सुधार कार्यक्रम चलाना।

18- सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों के अन्तर्गत वन्य जीव जन्तुओं, जलचर जीव जन्तुओं की सुरक्षा हेतु प्रयास करना, शासन प्रशासन को जानकारी देना उनके संरक्षण वन सम्पदा बढ़ाये जाने हेतु कार्य करना।

19- किसानो के उत्थान हेतु कृषि विविधीकरण योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन करना उन्नतिशील कृषि यंत्रो, कीटनाशकों आदि की जानकारी देना तथा उन्हें सिंचाई हेतु सरकार द्वारा टयूबवेल लगवाने की जानकारी देना, कम्पोस्ट, वर्मी, केंचुआ खाद निर्माण की जानकारी देना किसानो के विकास हेतु विचार गोष्ठियों, सेमिनारों, सम्मेलनों, फलो, फूलो की उत्पादन की प्रदर्शनी आदि का आयोजन करना, सरकार की सहायता से किसानो के भण्डारण की स्थापना व बीज उपलब्ध कराने का प्रयास करना तथा किसान विद्यालयों की स्थापना करना। जिससे कृषि विशेषज्ञो द्वारा फसलों को बचाने की जानकारी मिल सके।

20- अनु0 जातियों, जनजातियों, पिछडे वर्गो, अल्पसंख्यको के उत्थान हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओ एवं कार्यक्रमों का संचालन करना।

21- गन्दी एवं मलिन बस्तियो मे स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना, हैण्ड पम्प लगवाना तथा सरकार की स्वजलधारा योजना का प्रयास कर प्रचार प्रसार करना। जल संरक्षण, जल संचयन, भूगर्भ जल के गिरते स्तर को ऊंचा उठाने के कार्यक्रम चलाना। गन्दी मलिन बस्तियों झुग्गी झोपड़ियों मे रहने वाले लोगो के लिए केन्द्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों को चलाना, सर्दी मे अलाव जलवाना, भोजन वस्त्र, कम्बल लोई का वितरण करना, गर्मी मे पौशाला खुलवाना।

22- संस्था के कार्यक्षेत्र मे गरीबो के विकास हेतु कपार्ट, डवाकरा, सूडासेल, डूडा, ट्राइसेम, डी0आर0डी0ए0, नवार्ड, अवार्ड, सिडवी, महिला एवं बाल विकास विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार कल्याण मंत्रालय, नेहरू रोजगार याजना, जवाहर रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के प्रशिक्षण केन्द्रो का संचालन करना एवं उनका प्रचार प्रसार करना।

23- नेहरू युवा केन्द्र के कार्यक्रमों का संचालन करना।

24- भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन करना।

25- संस्था अपने कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत उ0 प्र0 खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, लघु एवं कुटीर उद्योग निदेशालय की नीतियो एवं कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करेगी। इस हेतु अपने कार्यक्षेत्र मे खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी ग्रामोद्योग की
नीतियो एवं कार्यक्रमों को अपनायेगी उनके पैटर्न के अनुरूप ग्रामोद्योगी संस्थाओं की स्थापना करना उनके संचालन व प्रबन्धक की समस्त व्यवस्थायें करना संस्था खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड खादी एवं ग्रामोद्योग के अन्तर्गत आने वाले समस्त कार्यक्रमों मे से किसी एक या एक से अधिक का चयन कर सकती है। संस्था ग्रामोद्योग बोर्ड, अखिल भारतीय ग्रामोद्योग आयोग तथा राज्य सरकार, केन्द्र सरकार एवं उनके विभागो, अनुभागो एवं अन्य वित्त पोषक स्रोतो से सहयोग, सहायता, दान, अनुदान, ऋण आदि प्राप्त कर सकेगी। संस्था खादी एवं ग्रामोद्योगी वस्तुओं का भण्डारण , उत्पापदन एवं बिक्री का कार्य करेगी एवं इससे अर्जित आय को उपयोग चेरिटेबिल कार्यो मे करना। संस्था खादी एवं ग्रामोद्योगो के सर्वांगीण विकास क लिए खादी एवं ग्रामोद्योग सम्बन्धी शिविरों, सम्मेलनो, गोष्ठियों, सेमिनारों, प्रदर्शनियों का आयोजन करना, उनका संचालन करना , ग्रामोद्योगी उत्पादको के गुणो का प्रचार करना तथा उन्हे जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास करना।

4. नीता

सत्य-प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक

पेज 3 पर -

26- खादी एवं ग्रामोद्योग की नीतियों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार के अवसरों का सृजन करना । गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों/लोगो का सर्वांगीण विकास करके उन्हे गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का प्रयास करना ।

27- बाल श्रमिकों के लिए बाल श्रम विद्यालयों की स्थापना करना तथा उनका संचालन करना।

28- ऊसर, बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने का प्रयास करना परती भूमि विकास कार्यक्रमों का संचालन करना । मृदा परीक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना।

29- एम0एल0सी0, सांसद, विधायक निधियों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन करना । एम0एल0सी0, सांसद व विधायक निधियों के कार्यो में सहभागिता करना तथा क्रियान्वयन में सहयोग करना।

30- समाज सुधारक नाटकों प्रहसन, ड्रामा आदि सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन करना।

31- चल चित्रों व राष्ट्र निर्माण फिल्मों को बनाना व उनका प्रचार प्रसार करना।

32- दैवीय आपदाओं बाढ़, सूखा, अग्निकाण्ड, भूकम्प पीड़ितों, सूखा पीड़ितों, दंगा पीड़ितो, दुर्घटनाओं आदि के समय पीड़ितों का सहयोग करना, राहत कार्यक्रम चलाना।

33- जन मानस में बढ़ी हुई संख्या, हिंसा, अन्ध विश्वास, छुआछूत, रंगभेद आदि ऊंच नीच जाति पांति आदि सामाजिक बुराइयों को समूल नष्ट करने का प्रयास करना जागरूकता पैदा करना।

34- धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन करना तथा आपसी जनता में भाई चारे की भावना पैदा करना।

35- दीन दुखियों की सेवा करना तथा संस्था की पहिचान बनाये रखने हेतु स्मारिका (पत्रिका) निकालना, प्रचार प्रसार करना।

36- शोध छात्रों के सहयोग हेतु शोध संस्थान, लेब्रोरेटरी की स्थापना करना एवं संचालन करना।

37- कला के विकास एवं लोक कलाओ, ललित कला के प्रचार प्रसार एवं नाटकों का मंचन आदि के सम्बन्ध में कार्यक्रम करना तथा लेखकों, साहित्यकारों, बुद्धिजीवियों, उत्कृष्ट खिलाड़ियों आदि को सम्मानित करना।

38- बैंको से ऋण लेना व उसे चैरिटेबिल कार्यो में खर्च करना।

39- पंचायती राज विभाग की योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन करना तथा नाली, खड़ंजा, पेयजल , श्रमदान मार्ग आदि कार्यक्रम कराना।

40- रेशम कीटपालन, मशरूम कृषि द्वारा गरीब जनता को लाभान्वित करना।

41- गरीबों, किसानो, मजदूरों को अपनी सम्पत्ति, पशुधन, दुकानों आदि का बीमा कराने की निःशुल्क जानकारी देना तथा मुसीबतों में उनके काम आ सके तथा बीमा व जीवन बीमा हेतु प्रेरित करना।

42- महिला समूह गठन कार्यक्रमों का संचालन करना।

43- ड्राइवरी प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना ।

44- जनता को निःशुल्क कानूनी सलाह/सहायता दिलाना।

45- असहाय लोगों व भीख मागने वालो को खाना खिलाना, उनके स्वास्थ्य की देखभाल करना, कपड़ा आदि की व्यवस्था करना।

46- गरीब लोगो की लड़कियों की शिक्षा-दीक्षा की व्यवस्था करना व उनकी शादी/विवाह में सहयोग करना संस्था का मुख्य कार्य होगा।

47- उन उद्देश्यों की पूर्ति करना जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 20 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त हों।

दिनांक- 14/12/2012

ह0 प्रबन्धक

सत्य-प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक

5- संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम व पता, पद व्यवसाय जिन्हे संस्था के नियमानुसार कार्यभार सौंपा गया :-

क्र0 सं0	नाम	पिता/ पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1	श्री रमेश चन्द्र मिश्रा	श्री रामसेवक मिश्रा	106/251 ए गाँधी नगर, कानपुर-208012	अध्यक्ष	समाजसेवा
2	श्री विजय कुमार	श्री महादेव प्रसाद	मोहल्ला– गाढ़ी खाना, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद–209625	उपाध्यक्ष	समाजसेवा
3	श्री सचिन दुबे	श्री अवधेश चन्द्र दुबे	बस्तीराम, छिबरामऊ जनपद-कन्नौज-209721	प्रबन्धक	समाजसेवा
4	श्रीमती नीता शुक्ला	पत्नी पंकज शुक्ला	ए-15, गान्धी नगर, ग्वालियर मध्य-प्रदेश-474002	उपप्रबन्धक	गृहणी
5	श्रीमती सरोज मिश्रा	पत्नी गिरजानन्दन मिश्रा	ग्राम व पोस्ट-कुचेला, जनपद-मैनपुरी-205119	कोषाध्यक्ष	समाजसेवा
6	श्री रवीन्द्र सिंह बर्मा	श्री देशराज बर्मा	ग्राम-अचकनापुर पोस्ट-असेह, जनपद-कन्नौज-209729	सदस्य	कृषि
7	श्री शैलेश कटेरिया	श्री श्रीपाल कटेरिया	ग्राम- अतिराजपुर, छिबरामऊ, कन्नौज-209721	सदस्य	कृषि

6- हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता घोषित करते हैं कि वे अपने स्मृति पत्र के अनुसार सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 21 सन् 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत करना चाहते हैं।

क्र0 सं0	नाम	पता	हस्ताक्षर
1	श्री रमेश चन्द्र मिश्रा	106/251 ए गाँधी नगर, कानपुर-208012	[signature]
2	श्री विजय कुमार	मोहल्ला– गाढ़ी खाना, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद–209625	विजय कुमार
3	श्री सचिन दुबे	बस्तीराम, छिबरामऊ जनपद-कन्नौज-209721	[signature]
4	श्रीमती नीता शुक्ला	ए-15, गान्धी नगर, ग्वालियर मध्य-प्रदेश-474002	नीता
5	श्रीमती सरोज मिश्रा	ग्राम व पोस्ट-कुचेला, जनपद-मैनपुरी-205119	सरोज मिश्रा
6	श्री रवीन्द्र सिंह बर्मा	ग्राम-अचकनापुर पोस्ट-असेह, जनपद-कन्नौज-209729	रवीन्द्र सिंह
7	श्री शैलेश कटेरिया	ग्राम- अतिराजपुर, छिबरामऊ, कन्नौज-209721	शैलेश

दिनांक- 14/12/2012

ह0 प्रबन्धक

सत्य-प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
14/12/12